न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 92/2017 (225 आरटीए) प्रकाशसिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00140)

प्रकाशसिंह पुत्र श्री लूणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बारू तहसील बाप जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर।

2 सहायक अभियंता जो.वि.वि.नि.लि. बाप, तहसील बाप जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर बाप
दिनांक 01.06.2017 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 49/2017

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई।

2 रेस्पो. सं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

3 रेस्पो. सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 25.01.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर बाप के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 49/2017 में पारित आदेश दिनांक 01.06.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप के समक्ष धारा 88, 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट की ओर से राजस्व वाद पेश किया। वाद के साथ में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र

पेश किया कि अपीलांट की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम बारू के खसरा नं. 619 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा स्थित है तथा उसके पड़ोस में चिपते ही खसरा नं. 621 कुल रकबा 1031 बीघा 15 बिस्वा भूमि किस्म गै.मु. मगरा स्थित है। अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 619 तथा उसके पड़ोस में चिपते ही खसरा नं. 621 की विधिवत पैमाइस आज दिन तक नहीं हुई है। मौके पर भूमि एक ही चक के रूप में स्थित है। रेस्पोडेंट द्वारा गैर कानूनी तरीके से अपीलांट की खातेदारी भूमि को खसरा नं. 621 को मानकर अपीलांट को नोटिस जारी किया तब अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को लोक अदालत कैंप बारू में रखकर अपीलाधीन आदेश के जरिये खारिज कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2017 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि मातहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र बाबत जारी करने अस्थाई निषेधाज्ञा सरसरी तौर निर्णित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के सिद्धांतों पर विधिवत गौर किये बिना ही प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। जबकि मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुय प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का कोई अवसर ही नहीं दिया। पत्रावली को लोक अदालत कैंप बारू में रखकर अपीलांट के अधिवक्ता की उपस्थिति बताकर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। जबकि वास्तव में अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित ही नहीं थे न ही आदेशिका पर उनके कोई हस्ताक्षर हैं। लोक अदालत में केवल उन्हीं मामलों का निस्तारण किया जा सकता है, जिसमें पक्षकारान अथवा उनके

अधिवक्ता सहमत हों। प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैंप बारू में रखने बाबत अपीलांट को कोई नोटिस ही प्राप्त नहीं हुआ तथा बाले–बाले प्रार्थना पत्र को खारिज कर पत्रावली को फैसल शुमार कर दिया इस कारण अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्यायिक सिद्धांतो के विपरीत होने के कारण केवल इसी आधार पर खारिज करने के काबिल है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र को दिनांक 10.05.2017 को दर्ज कर नोटिस जारी किये गये तथा आगामी तारीख पेशी 14.06.2017 दी गई। दिनांक 14.06.2017 से पूर्व ही बिना किसी प्रार्थना पत्र पेश किये पत्रावली को दिनांक 31.05.2017 को रखा जाकर आगामी तारीख 01.06.2017 को रख दी गई तथा दिनांक 01.06.2017 को ही अपीलाधीन आदेश पारित कर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। जबकि अपीलांट के अधिवक्ता ने उक्त पत्रावली की तारीख पेशी दिनांक 14.06.2017 नोट की हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई न्यायिक प्रक्रिया अपनाये, बिना जबाब लिये, जबाब को रिकार्ड पर मानकर तथा गलत तरीके से अपीलांट के अधिवक्ता की बहस मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में घोर विधिक भूल की है। अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 619 तथा खसरा नं. 621 दोनों ही चिपते खसरे हैं तथा इन दोनों खसरों की विधिवत बिना पैमाइस किये ही हल्का पटवारी अपीलांट का कब्जा खसरा नं. 621 में मानकर 91 एल. आर. एक्ट के तहत नोटिस दे रहे हैं। जबकि विधिवत पैमाइस की जाती है तो अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र को बिना कोई आधार बताये खारिज कर दिया जबकि प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में था। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को तय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति इन तीनों बिंदुओं को तय करना आवश्यक था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को लोक अदालत कैंप में रखकर बिना कोई कारण दर्शाये प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जबकि प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के काबिल था। जिस स्थान पर अपीलांट का 100 वर्षों से कब्जा व काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर ढाणी व टांका बना हुआ है तथा नलकूप खुदा हुआ है तथा कृषि

कनेक्शन लिया हुआ है उस स्थान पर रेस्पोडेंट राजनीतिक दबाब से अपीलांट को बेदखल करने पर उतारू है अगर वे ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई मौका रिपोर्ट तलब किये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

अपीलांट के अधिवक्ता ने धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में उक्त पत्रावली नोटिस तामील हेतु दिनांक 14.06.2017 को तारीख पेशी में रखी गई थी। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा उक्त पत्रावली में तारीख पेशी 14.06.2017 ही नोट की हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली को अपीलांट को बिना कोई नोटिस दिये लोक अदालत कैंप बारू में रखकर बाले–बाले अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अभी हाल ही में दिनांक 31.07.2017 को अपीलांट द्वारा अपने अधिवक्ता से संपर्क कर उक्त पत्रावली के बारे में जानकारी चाही तो अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नियुक्त रीडर से उक्त पत्रावली के संबंध में तारीख का पता किया तो बताया गया कि उक्त पत्रावली को लोक अदालत कैंप बारू में निर्णित कर दिया तब अपीलांट द्वारा उसी रोज दिनांक 31.07.2017 को अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल उसी रोज दिनांक 31.07.2017 को प्राप्त हुई जिसे पढ़ने पर अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की प्रथम बार जानकारी हुई। प्रथम जानकारी से यह अपील अंदर मियाद पेश की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार करते हुये मैरिट पर स्वीकार की जावे।

6 रेस्पो. सं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि अपीलांट राजकीय भूमि पर केवल अतिक्रमी रहा है। तथा अपीलांट का कब्जा केवल अतिक्रमी होने से उसका प्रथम दृष्टया मामला नहीं है और न ही सुविधा का संतुलन है तथा अपूर्णीय क्षति का बिंदु उसके पक्ष में नहीं पाया जाता है। अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हैं। अपीलांट की अपील मियाद बाहर भी है। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

25/1

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 प्रस्तुत अपील देरी से पेश की गई है। देरी को कंडोन करने के लिये अपीलांट ने मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसमें वर्णित तथ्यों को देखते हुये धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। रेस्पोडेंट अधिवक्ता की ओर से कोई काउंटर शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है। अपीलांट ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 31.07.2017 को अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त हुई तब अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री पर्चा जारी नहीं किया गया है अतः अपीलांट अधिवक्ता के द्वारा बहस में किये गये निवेदन पर अपीलाधीन निर्णय के ऑपरेटिव भाग को डिक्री पर्चा माना जाता है।

इस प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि पत्रावली को लोक अदालत कैंप बारू में रखकर अपीलांट के अधिवक्ता की उपस्थिति बताकर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। जबकि वास्तव में अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित ही नहीं थे न ही आदेशिका पर उनके कोई हस्ताक्षर हैं। लोक अदालत में केवल उन्हीं मामलों का निस्तारण किया जा सकता है, जिसमें पक्षकारान अथवा उनके अधिवक्ता सहमत हों। अपीलांट के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र को दिनांक 10.05.2017 को दर्ज कर नोटिस जारी किये गये तथा आगामी तारीख पेशी 14.06.2017 दी गई। दिनांक 14.06.2017 से पूर्व ही बिना किसी प्रार्थना पत्र पेश किये पत्रावली को दिनांक 31.05.2017 को रखा जाकर आगामी तारीख 01.06.2017 को रख दी गई तथा दिनांक 01.06.2017 को ही अपीलाधीन आदेश पारित कर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। जबकि अपीलांट के अधिवक्ता ने उक्त पत्रावली की तारीख पेशी दिनांक 14.06.2017 नोट की हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई न्यायिक प्रक्रिया अपनाये, बिना जबाब लिये, जबाब को रिकार्ड पर मानकर तथा गलत तरीके से अपीलांट के अधिवक्ता की बहस मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में घोर विधिक भूल की है। अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकरण की मैरिट पर बहस करते हुये यह भी तर्क दिया कि अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 619 तथा खसरा नं. 621 दोनों ही चिपते खसरे हैं तथा इन दोनों खसरों की विधिवत बिना पैमाइस किये ही हल्का पटवारी अपीलांट का कब्जा खसरा नं. 621 में मानकर 91 एल.आर. एक्ट के तहत नोटिस दे रहे हैं। जबकि विधिवत पैमाइस की जाती है तो अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र को बिना कोई आधार बताये खारिज कर दिया जबाकि प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में था। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को तय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति इन तीनों बिंदुओं को तय करना आवश्यक था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को लोक अदालत कैंप में रखकर बिना कोई कारण दर्शाये प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया

9 अपीलांट के अधिवक्ता की बहस में किये गये कथनों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट के अधिवक्ता का यह कथन सही है कि पत्रावली लोक अदालत कैंप में निस्तारित की गई है। अधीनस्थ न्यायलय की आदेशिका से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में तारीख पेशी 14.06.2017 नियत थी परंतु उससे पूर्व ही दिनांक 31.05.2017 को प्रकरण को तारीख पेशी पर लेते हुये दिनांक 01.06.2017 को राजस्व कैंप के लिये नियत कर दी गई। अपीलांट अधिवक्ता का कथन है कि प्रकरण में जबाब पेश नहीं हुआ है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार बाप की ओर दिनांक 01.06.2017 को जबाब पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 01.06.2017 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्व कैंप अदालत में उभयपक्षकारान उपस्थित थे जबकि अपीलांट के अधिवक्ता ने पक्षकारान की उपस्थिति के संबंध में स्पष्ट कथन नहीं किया है केवल प्रार्थी के वकील की अनुपस्थिति बताई है। अतः राजस्व कैंप में वकील की अनुपस्थिति में प्रकरण निस्तारित हुआ है परंतु पक्षकारान की अनुपस्थिति प्रमाणित नहीं होती है बल्कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से पक्षकारान की उपस्थिति होना ज्ञात होता है। प्रकरण की मैरिट पर देखने पर ज्ञात होता

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

है कि वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में नहीं पाया जाता है। प्रार्थी/अपीलांट स्वयं यह स्वीकार कर रहा है कि खसरा नं. 621 राजकीय भूमि है तो उस पर यदि कोई कब्जा भी है तो वह अतिक्रमी की हैसियत से ही हो सकता है। अतः अतिक्रमी होने से सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिंदु अपीलांट/प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है। यदि कोई हक अधिकार है तो यह साक्ष्य व सबूत के बाद दावे में ही तय हो सकते हैं प्रार्थना पत्र की स्टेज पर राजकीय भूमि पर अपीलांट/प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिये प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिंदु उसके पक्ष में नहीं पाया जाता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश मैरिट पर खारिज योग्य नहीं है। तदनुसार अपील स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है।

10 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2017 यथावत रखा जाता है।

25/1/19

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 25.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/1/19

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर